सं० 200 / प०चा०स०...-2011

संख्या–908 / 12–3–2011–100(10) / 2009

प्रेषक,

क्षेत्रपाल
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कृषि अनुभाग–3

लखनऊः दिनांकः 13 अप्रैल 2011

विषय– उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट–।।। (विश्व बैंक पोषित) के कियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–भू.सं.लेखा (अ–1) / ।।। / 11–12 / 10–डी. / दिनांक–11.4.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट–।।। (विश्व बैंक पोषित) योजना के अन्तर्गत आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम त्रैमास हेतु रू0–441564 हजार (रू0 चौवालिस करोड़ पन्द्रह लाख चौसठ हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार / केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3– उक्त धनराशि का उपयोग योजना की विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना तथा कार्ययोजना के अनुरूप विश्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय–व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिए विश्व बैंक द्वारा रिट्राएक्टिव फाइनेन्शिंग (Retroactive Financing) के अन्तर्गत धन देने के लिए सहमति दी गयी हो।

4 स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि को आहरित कर कृषि निदेशक द्वारा प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम को उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि को व्यय करते समय विश्वबैंक तथा भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों, मार्गदर्शक सिद्धान्तों तथा फाइनेन्शिंग एग्रीमेंट के प्राविधानों का पालन किया जायेगा।

5– उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2402–मृदा तथा जल संरक्षण –आयोजनागत–103–भूमि सुधार तथा विकास–97–वाह्य सहायतित योजनायें–04–उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट–।।। (विश्व बैंक पोषित योजना) के मानक मद–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

6 यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0–बी0–1–901 / दस–2011–231 / 2011, दिनांक 21.3.2011 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुपालन में निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(क्षेत्रपाल)
उप सचिव।

संख्या--908(1)/12-3-2011-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. प्रमुख सचिव, परती भूमि विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
8. अपर कृषि निदेशक (सामान्य), कृषि भवन, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(क्षेत्रपाल)
उप सचिव।